संख्या-989/23-9-99-11ए0सी0/96

प्रेषक,

लक्ष्मी चन्द,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0
लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2007

विषय:- लोक निर्माण विभाग में कार्यों की गुणवत्ता नियन्त्रण ।

महोदय,

प्रदेश के सर्वागीण विकास में मर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा प्रदेश के मार्गों का विकास शासन की शीर्ष प्राथमिककाताओं में से एक है । मार्गों के निर्माण एवं रख-रखाव के परिपेक्ष्य में यह अत्यन्त आवश्यक है कि किया गया निर्माण एवं रख रखाव का कार्य टिकाऊ एवं स्थायी हहो ताकि व्यय किये गये धन का पूरा लाभ मिल सके । यह तभी सम्भव है जब निर्माण ककार्य निर्धारित विशिष्टियों का पूर्णरूप से पालन करते हुए अपेक्षित गुणवत्ता कके साथ किया जाय । सभी भली-भांति अवगत है कि समय-समय पर जनप्रतिनिधियों से व अन्य स्त्रोंतो से गुणवत्ता से सम्बन्धित शिकायतें प्रराप्त होती रहती है जिससे शासन की छवि तो धूमिल होती है, साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ककी सत्यनिष्ठा की ओर भी उॅगली उठती है तथा जनता को शासन द्वारा व्यय किये गये धन का पूरा लाभ नही मिल पाता है ।

अत: निर्माण कार्यों में अपेक्षित स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित ककरने हेतु मुझे शासन के निम्नलिखित निर्देश भेजने की निदेश हुआ है :-

क. पंजीकृत ठेकेदारों की पंजीकरण सीमा निम्यमानुसार पुनरीक्षित कर दी जाय :-

(1) डी श्रेणी 10 लाख रूपये
(2) सी श्रेणी 25 लाख रूपये
(3) बी श्रेणी 50 लाख रूपये
(4) ए श्रेणी 50 लाख रूपये से ऊपर

ख. सड़क निर्माण के जो भी कार्य किये जायॅ वे वर्टिकल टेन्डर के आधार पर किये जाये । इस आशय के निर्देश शासनादेश संख्या 1736/23-लो नि-9-आर/94, दिनांक 26-12-94 में पूर्व में ही दिये जा चुके है ।

ग. जिस ठेकेदार के पक्ष में टेन्डर स्वीकृत किया जाता है उसकी यह बाध्यता होगी कि वह सम्बन्धित कार्य की किसी अन्य ठेकेदार ककी नही देगा अर्थात किसी भी दशा में सबलेटिंग अनुमन्य नहीं होगी ।

घ. पर्याप्त प्रचार व प्रसार की आवश्यकता के दृष्टिकोण से निविदा प्ररदेश स्तर के ऐसे समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजी जाय जिनका प्रसारण कम-से-कम 50 हजार हो तथा तथा अधिशासी अभियन्ता प्रकाशन हेतु सूचना निदेशक को अनुरोध करते समय कम-से-कम एक समाचार-पत्र इंगित करें जिसमें निविदा सूचना हहर दशा में प्रकाशित की जानी है ।

च. यह सुनिश्चित किया जाय कि निविदा सूचना प्रकाशित ककराने के पूर्व विल आफ क्वांटिटी तैयार हो जाय । यदि बिल आफ क्वांटिटी तैयार नही है तो निविदा सूचना प्रकाशित न कराई जय ।

छ. बिल आफ क्वांटिटी में विभागीय दरों के भरने के बाद मांग कार्यों की निविदायें भी भवन कार्यों की तरह पूरे कार्य के लिये प्रतिशत दर पर मॉगी जायें अर्थात निविदादाता यह इंगित करेगा कि वह विभागीय दर से कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम पर कार्य करने को तैयार है । किसी भी दशा में ऐसी निविदायें स्वीकार न ही जायें जिनमें कुछ शर्तें अंकित की गई हों ।

ज. निविदा खोलने के बाद नेगोशियेशन उसी दशा में किया जाय जब निविदा की दरें विभागीय दरों से अधिक हों । यदि नेगोशियेशन किया जानला है तो इसकी सूचना भी निविदा सूचना में ही सम्मिलित की जाय तथा निविदा प्राप्त ककरने की तिथि से एक सप्ताह से अधिक का समय न दिया जाय । जिन मामलों में नेगोशियेशन नहीं होना है उनमें निविदा की तिथि से तीन दिन के अन्दर आवश्यक निर्णय ले लिया जाय तथा निविदादाता को तत्काल सूचिज कर दिया जाय ।

झ. अपने-अपने क्षेत्र/वृत्त/खण्ड में कार्यों को गुणवत्ता से सम्पादित कराने ककी दायित्व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं/अधिशासी अभियनताओं का होगा । अत: यह अधिकारी कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा निरीक्षणोंपरान्त विस्तृत निरीक्षण टिप्पणी जारी करें एवं निरीक्षण टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें । निरीक्षण टिप्पणी की मानीटरिंग एक स्तर ऊॅचें अधिकारी द्वारा की जाय । निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता/ब्लास्ट/ग्रिट आदि के गेज, मिट्टी के कम्पेन्शन ककी धनत्व एवं क्ररट आदि की विशेष रूप से जॉच की जाय तथा जो कमियॉ पाई जायें उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में अंकित किया जाय । पूर्व आदेशों के अनुसार मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता प्रत्येक माह में कम-से-कम अपने कार्य क्षेत्र में आठ नाइट हाल्ट अवश्य करें । मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता अपने टी0ए0 बिल के साथ निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रतिलिपि भेजें । जिस टी0ए0 बिल के साथ विस्तृत निरीक्षण टिप्पणी न लगी हो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा पास न किया जाय ।

अधीक्षण अभियन्ता अपने वृत्त के सभी कार्यो कम-से-कम छः माह में एक बार तथा मुख्य अभियन्ता अपने क्षेत्र के कार्य का एक वर्ष में कम-से-कम एक बबार अवश्य निरीक्षण करें ।

ट. यदि किसी निर्माण कार्य की जॉच में कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई जाती है या त्रुटिपूर्ण मापी के कारण अधिक भुगतान हुआ पाया जाता है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण शासन को हानि होनी पायी जाती है तो उस हानि की वसूली 50 प्रतिशत ठेकेदार से तथा 50 प्रतिशत उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से की जाय । अधिकारियों/कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत अवर अभियन्ता से, 35 प्रतिशत सहायक अभियन्ता से तथा 15 प्रतिशत अधिशासी अभियन्ता से ककी जाय । ठेकेदार से यह वसूली उसके अवशेष विभागीय देयों से ककी जाय तथा यदि यह सम्भव न हो तो उससे यह वसूली भू-राजस्व की भॉति जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जाय । इसके लिये आवश्यक अधिसूचना आदि अलग से जारी की जा रही है ।

ठ. निर्माण कार्यों में अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि अवर अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता कार्य स्थल पर प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र संख्या-5 पी0डब्लू0डी0/1709 सा0का0/81, दिनांक 21-4-81 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उपस्थित रहें । यदि इनमें कोई परिवर्तन वॉछित है तो प्रमुख अभियन्ता अपने स्तर से संशोधित आदेश जारी कर दें तथा तदनुसार शासन को भी अवगत करा दें ।

3. अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

भवदीय

(लक्ष्मी चन्द)
प्रमुख सचिव

संख्या :- 989(1)/23-9-99-1/ए0सी0/96-तददिनांक ।

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से

(जगत राम)
अनु0 सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

(सामान्य वर्ग)

पत्रांक :- 959एम0टी0/60एम0टी0/2014 दिनांक-30.01.2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

प्राय: देखा जा रहा है कि विभाग में कार्यों के निष्पादन में गठित अनुबन्धों के सापेक्ष ठेकेदारों को अग्रिम देने के संबंध में विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। कार्यों हेतु गठित किए जाने वाले अनुबन्धों के संबंध में पूर्व में ही शासनादेश सं0 6738/23-7-2006-176(सा0)/06, दिनांक: 05.01.07 द्वारा विस्तत दिशा-निर्देश, मॉडल बिड डाक्यूमेन्ट्स के रूप में निर्गत किए जा चुके है। इस बिड डाक्यूमेन्ट्स में ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान किए जाने हेतु मदों का निर्धारण एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

अत: एतद्द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि अनुबन्धों में माडल बिड डाक्यूमेन्ट्स में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे।

(चित्रा सवरूप)
प्रमुख अभियन्ता(विकास)
एवं विभागध्यक्ष
उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आदेशों के अनुपालनार्थ :-

1. सचिव, लो0नि0अनु0-7, उ0प्र0शासन, लखनऊ को सूचनार्थ ।
2. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(पिरकल्प/नियोजन), उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ ।
3. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियन्ता (रा0मा0/विश्व बैंक/प्रिवाद/विद्युत यॉत्रिक), लो0नि0वि0, लखनऊ ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 ..... ।
6. समस्त क्षेत्रीय अधी0 अभि0, लो0नि0वि0, उ0प्र0 द्वारा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता ।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 द्वारा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता ।

प्रमुख अभियन्ता(विकास)
एवं विभागध्यक्ष
उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ